

राजस्थान-सरकार

निदेशालय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, राजस्थान जयपुर।

कमांक :ई-33/जोन-भरतपुर/एफ.09/2024/449

दिनांक 02/04/2024

-:आदेश:-

निम्नलिखित कार्मिक जिनके द्वारा राज्य सेवा में 60 वर्ष की अधिवार्षिकी आयु पूर्ण करने प्रर उनके नाम के सम्मुख अंकित सेवानिवृत्ति तिथि से मध्यान्ह पश्चात् राज्य सेवा से सेवानिवृत्त किया जाता है :-

क्र. सं.	कर्मचारी का नाम मय पद	पदस्थापन स्थान	जन्म दिनांक	प्रथम नियुक्ति दिनांक	सेवानिवृत्ति दिनांक
1.	श्री दिनेश कुमार शर्मा, लैब टेक्नीशियन	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, बांसीकला खण्ड सेवर जि. भरतपुर	15.07.1964	29.04.1985	31.07.2024

उक्त कार्मिक के विरुद्ध विभागीय जाँच प्रस्तावित है ।

(राकेश कुमार शर्मा)  
निदेशक (अराजपत्रित)  
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें  
राजस्थान जयपुर

कमांक :ई-33/जोन-भरतपुर/एफ.09/2024/449

दिनांक 02/04/2024

प्रतिलिपी निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

- 1.निदेशक, पेंशन एवं पेंशनर्स वेलफेयरविभाग,राजस्थान,भरतपुर/जयपुर ।
- 2.संयुक्त निदेशक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ,जोन-भरतपुर ।
- 3.मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, भरतपुर।
- 4.चिकित्सा अधिकारी प्रभारी,प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, बांसीकला खण्ड सेवर जि.भरतपुर
- 5.श्री दिनेश कुमार शर्मा, लैब टेक्नीशियन प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, बांसीकला खण्ड सेवर जि.भरतपुर ।
- 6.डीपीसी/गोपनीय (अराजपत्रित) अनुभाग मुख्यालय,जयपुर।
- 7.प्रभारी सर्वर रूम, मुख्यालय को वेबसाईट पर अपलोड वास्ते।
- 8.आदेश पत्रावली/निजी पत्रावली।

उक्त कार्मिक के विरुद्ध यदि ऑडिट पैरा या अन्य कोई वसूली बकाया हो तो उसकी वसूली तत्काल कर निदेशालय मुख्यालय को अवगत करावें।

निदेशक (अराजपत्रित)  
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें  
राजस्थान जयपुर

Signature valid

RajKaj Ref  
6329635



Digitally signed by Rakesh Kumar Sharma  
Designation : Director  
Date: 2024.03.29 17:46:41 IST  
Reason: Approved